संख्याः 1078 /18(1) / 2004

प्रेषकः

एन0एस0नपलच्याल
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

राजस्व विभागः देहरादूनः दिनॉक 25 नवम्बर, 2004.

विषयः कुमायूँ एवं गढवाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों एव भू–लेख निरीक्षकों तथा उनसे संबध अनुसेवकों को कतिपय भत्ते की दरों में पुनरीक्षण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों को राजस्व विभाग के अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निवर्हन के साथ–साथ अपने हल्कों में अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान से संबंधित पुलिस विभाग के कर्तव्यों का भी अतिरिक्त रूप से निवर्हन करना होता है अतः शासनदेश संख्याः 3816/ 1–9–93–11–16 (36) / 89–573–रा0–9दिनॉक 16 अगस्त 1993 एवं शासनादेश सख्याः 580/1–9–96–11–16(36)/ 89– रा0–9 दिनॉक 23 फरवरी, 1996 तथा शासनादेश संख्याः 13–16(33)/81–912–रा0–9 दिनॉक 14 जनवरी , 1983 के कम में श्री राज्यपाल महोदय कमशः कुमायूँ एवं गढवाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों एवं भू–लेख निरीक्षको तथा उनसे संबध अनुसेवको को प्रतिकर भत्ता एवं पटवारियों को स्टेशनरी व गोसवारा भत्तें की सुविधाएं दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. पर्वतीय पटवारियों को अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त पुलिस एवं अन्य कार्य के लिए पूर्व में अनुमन्य रू0 450/– (रू0चार सौ पचास रूपये मात्र) प्रतिमाह के प्रतिकर भत्ते के स्थान पर रू0 900/– (रू0नौ सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिकर भत्ता इस शर्त के साथ देय होगा कि पुलिस कर्मियों की भॉति अवकाश के दिनों में कार्य करने के एवज में एक माह के अतिरिक्त वेतन की मांग नहीं की जायेगी।
2. पर्वतीय क्षेत्र के पटवारियों को मिल रहे स्टेशनरी भत्ता रू0 10/– (रू0दस मात्र) प्रतिमाह के स्थान पर रू0 30/– (रू0तीस मात्र) प्रतिमाह और गोसवारा भत्ता रू020/– (रू0बीस मात्र) प्रतिमाह के स्थान पर रू0 60/– (रू0साठ मात्र) प्रतिमाह देय होगा।

MC 786

3. पर्यवेक्षक कानूनगो (भू–लेख निरीक्षकों) को अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त पुलिस संबंधी कार्य के लिए पूर्व में अनुमन्य रू0 150/– (रू0एक सौ पचास मात्र) प्रतिमाह के प्रतिकर भत्ते के स्थान पर रू0 300/– (रू0 तीन सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिकर भत्ता इस शर्त के साथ देय होगा कि पुलिस कर्मियों की भॉति अवकाश के दिनों में कार्य करने के एवज में एक माह के अतिरिक्त वेतन की मांग नही की जायेगी।
4. पटवारियों एवं भू–लेख निरीक्षकों से संबद्ध अनुसेवकों को पूर्व में अनुमन्य रू060/– (रू0 साठ मात्र) प्रतिमाह के प्रतिकर भत्ते के स्थान पर रू0 120/– (रू0एक सौ बीस मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिकर भत्ता उन्हीं शर्तो के अधीन देय होगा।
5. उक्त भत्तों में पुनरीक्षण शासनादेश निर्गत करने की तिथि से ही माना जायेगा।

6. उक्त स्वीकृति के संबंध में होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 लेखा शीर्षक–2029–भू–राजस्व–00–आयोजनेत्तर –103–भू–अभिलेख–03–जिला अधिष्ठान–00 – के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामें डाला जायेगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 1885/वि0 अनु0–3/2004 दिनॉक 25 नवम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

संख्याः एवं तद्दिनॉकित्।
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार, उत्तरांचल , देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी (हरिद्वार को छोड़कर) उत्तरांचल
3. मंडलायुक्त, कुमायूँ एवं गढवाल, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी (हरिद्वार को छोड़कर)
5. निदेशक, एनआईसी सचिवालय परिसर ,देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

25110400 9.Pdf